

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग

08 वॉ तल, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, अकादमिक भवन, बुद्ध मार्ग, पटना - 800001, बिहार

सहायक प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति से संबंधित आवश्यक सूचना

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त अध्यापना के आधार पर बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor) के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विभिन्न विषयों के आरक्षण कोटिवार निर्मांकित सारणी में दर्शाए गए रिक्त पदों पर केवल भारत के सुयोग्य नागरिकों से विहित प्रपत्र में दिनांक- 02.11.2020 के 05:00 बजे अपरार्दन तक ऑनलाईन आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना के वेबसाइट- <http://bsusc.bihar.gov.in> पर प्रदर्शित है। सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor) के पदों के लिए आरक्षण कोटिवार एवं विषयवार कुल सिकरियाँ निम्नवत् हैं :-

क्र.सं.	विषय	विभाग का नाम	सामान्य			जाति के समाने वन			अग्रणी जाति			अग्रणी उपाधी			अन्य बिहार वन			बिहार वन	बिहार वन के अतिरिक्त (WBC)	कुल	भारत वन के अतिरिक्त के वन/शहरी/ग्रामीण के लिए 2% अतिरिक्त आरक्षण के अंतर्गत कुल वन	बिहार वन के अतिरिक्त के वन/शहरी/ग्रामीण के लिए 2% अतिरिक्त आरक्षण के अंतर्गत कुल वन			
			कुल वन के अतिरिक्त के लिए 20% अतिरिक्त आरक्षण के अंतर्गत कुल वन	कुल वन के अतिरिक्त के लिए 20% अतिरिक्त आरक्षण के अंतर्गत कुल वन	कुल वन के अतिरिक्त के लिए 20% अतिरिक्त आरक्षण के अंतर्गत कुल वन	कुल वन के अतिरिक्त के लिए 20% अतिरिक्त आरक्षण के अंतर्गत कुल वन	कुल वन के अतिरिक्त के लिए 20% अतिरिक्त आरक्षण के अंतर्गत कुल वन	कुल वन के अतिरिक्त के लिए 20% अतिरिक्त आरक्षण के अंतर्गत कुल वन	कुल वन के अतिरिक्त के लिए 20% अतिरिक्त आरक्षण के अंतर्गत कुल वन	कुल वन के अतिरिक्त के लिए 20% अतिरिक्त आरक्षण के अंतर्गत कुल वन	कुल वन के अतिरिक्त के लिए 20% अतिरिक्त आरक्षण के अंतर्गत कुल वन	कुल वन के अतिरिक्त के लिए 20% अतिरिक्त आरक्षण के अंतर्गत कुल वन	कुल वन के अतिरिक्त के लिए 20% अतिरिक्त आरक्षण के अंतर्गत कुल वन	कुल वन के अतिरिक्त के लिए 20% अतिरिक्त आरक्षण के अंतर्गत कुल वन	कुल वन के अतिरिक्त के लिए 20% अतिरिक्त आरक्षण के अंतर्गत कुल वन	कुल वन के अतिरिक्त के लिए 20% अतिरिक्त आरक्षण के अंतर्गत कुल वन	कुल वन के अतिरिक्त के लिए 20% अतिरिक्त आरक्षण के अंतर्गत कुल वन					कुल वन के अतिरिक्त के लिए 20% अतिरिक्त आरक्षण के अंतर्गत कुल वन	कुल वन के अतिरिक्त के लिए 20% अतिरिक्त आरक्षण के अंतर्गत कुल वन		
01	अरबी	AP-ARAB-01/20-21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
02	अंग्रेजी	AP-ENGL-02/20-21	40	14	9	1	87	4	10	0	76	7	15	3	16	253	1	2	0	1	1				
03	बर्क	AP-PURDU-03/20-21	13	4	5	0	38	3	5	0	21	3	12	1	6	100	0	2	1	0	0				
04	फारसी	AP-PERS-04/20-21	7	2	1	0	1	0	1	0	4	1	0	0	0	14	0	2	0	0	0				
05	फिलिपी	AP-MAIT-05/20-21	9	3	1	0	14	0	0	0	12	0	4	0	3	43	0	1	0	0	0				
06	संस्कृत	AP-SANS-06/20-21	12	3	5	0	24	2	4	0	20	1	8	2	3	76	0	2	1	0	0				
07	हिन्दी	AP-HIND-07/20-21	90	28	21	6	74	14	9	0	75	15	9	1	14	292	2	4	1	1	1				
08	इतिहास	AP-HIST-08/20-21	93	35	23	4	71	10	7	0	86	15	23	4	13	316	2	4	2	2	1				
08	ग्रामीण भारतीय इतिहास एवं संस्कृति / परियोजना अध्ययन	AP-AIHA-09/20-21	10	4	3	0	15	3	2	0	14	1	9	1	2	55	0	1	0	0	0				
10	गृह विज्ञान	AP-HOME-10/20-21	22	7	6	0	16	4	1	0	21	2	15	4	2	83	0	1	0	0	0				
11	PMIR /IRPM/LSW	AP-PMIR-11/20-21	4	3	0	0	7	0	0	0	6	0	1	0	0	18	0	0	0	0	0				

N. Kumar
21/9/20

Dr. S. S.

Dr. S. S.

Dr. S. S.

Dr. S. S.

क्र.सं.	वर्ग	वर्ग संख्या व नाम	संशोधन		संशोधन संशोधन		संशोधन संशोधन		संशोधन संशोधन		संशोधन संशोधन		संशोधन संशोधन		संशोधन संशोधन (VBC)	संशोधन संशोधन	संशोधन संशोधन			
			संशोधन संशोधन	संशोधन संशोधन	संशोधन संशोधन	संशोधन संशोधन	संशोधन संशोधन	संशोधन संशोधन	संशोधन संशोधन	संशोधन संशोधन	संशोधन संशोधन	संशोधन संशोधन	संशोधन संशोधन	संशोधन संशोधन			संशोधन संशोधन	संशोधन संशोधन	संशोधन संशोधन	संशोधन संशोधन
32	संशोधन संशोधन	AP-KARM-32/20-21	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
33	संशोधन संशोधन	AP-DHAR-33/20-21	3	1	1	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0
34	संशोधन संशोधन	AP-PURA-34/20-21	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
35	संशोधन संशोधन	AP-DARS-35/20-21	3	1	1	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0
36	संशोधन संशोधन	AP-AMBE-36/20-21	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
37	संशोधन संशोधन	AP-ANTH-37/20-21	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
38	संशोधन संशोधन	AP-GEOL-38/20-21	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
39	संशोधन संशोधन	AP-GAND-39/20-21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
40	संशोधन संशोधन	AP-LAW-40/20-21	5	2	1	0	3	1	0	5	1	1	0	0	15	0	0	0	0	0
41	संशोधन संशोधन	AP-ANGI-41/20-21	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
42	संशोधन संशोधन	AP-STAT-42/20-21	5	2	2	0	4	2	0	4	2	2	1	0	17	0	0	0	0	0
43	संशोधन संशोधन	AP-EDUC-43/20-21	2	0	1	1	2	1	1	3	1	0	0	1	10	0	0	0	0	0
44	संशोधन संशोधन	AP-BIOC-44/20-21	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
45	संशोधन संशोधन	AP-RURA-45/20-21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
46	संशोधन संशोधन	AP-ELEC-46/20-21	6	2	1	0	2	0	0	1	0	2	0	0	12	0	0	1	0	0
47	संशोधन संशोधन	AP-PAL-47/20-21	6	2	1	0	3	0	1	7	0	3	1	1	22	0	0	0	0	0
48	संशोधन संशोधन	AP-PRAK-48/20-21	2	1	1	0	3	1	0	3	1	1	0	0	10	0	0	0	0	0
49	संशोधन संशोधन	AP-NEPA-49/20-21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
50	संशोधन संशोधन	AP-RUSS-50/20-21	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0
51	संशोधन संशोधन	AP-BHOU-51/20-21	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0
52	संशोधन संशोधन	AP-JOUR-52/20-21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0

M. Kumar
2/11/2020

(4)

Dr. Jini

Dr. Jini

Dr. Jini

क्र.सं. संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	विषय	आवृत्तियाँ												कुल	विद्यार्थियों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या (अपेक्षित)	विद्यार्थियों की संख्या (वास्तविक)	विद्यार्थियों की संख्या (अपेक्षित) - विद्यार्थियों की संख्या (वास्तविक)	विद्यार्थियों की संख्या (अपेक्षित) - विद्यार्थियों की संख्या (वास्तविक)				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17
5	डी० आर० अशोककर विद्यालय, विश्वविद्यालय, मुम्बई/पुणे	कृषि	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			2	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0		
			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		
			2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0		
			7	2	1	0	1	0	1	0	1	0	4	1	0	0	14	0	2	0	0	0		
			3	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0		
			1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0		
			3	1	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	2	0	18	0	0	0	0	0		
			2	1	1	0	6	0	0	0	5	0	1	0	1	0	17	0	1	0	0	0		
6	कोल्हापूर सिटी दारुशा संस्कृत विश्वविद्यालय, दारुशा	संस्कृत	9	3	1	0	14	0	0	12	0	4	0	3	43	0	1	0	0	0				
			2	1	1	0	2	1	1	0	3	0	2	0	1	12	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
			2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	5	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	1	0	0	0	12	0	4	0	3	43	0	1	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	विषय	सम्मेलन		संशोधन एवं प्रशिक्षण		संशोधन सभा		संशोधन संस्था		संशोधन एवं प्रशिक्षण		संशोधन एवं प्रशिक्षण		संशोधन एवं प्रशिक्षण (WBC)	कुल	विश्वविद्यालय के संशोधन एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत कुल संशोधन एवं प्रशिक्षण	संशोधन एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत कुल संशोधन एवं प्रशिक्षण				
			कुल संशोधन एवं प्रशिक्षण	संशोधन एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत कुल संशोधन एवं प्रशिक्षण	संशोधन एवं प्रशिक्षण	संशोधन एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत कुल संशोधन एवं प्रशिक्षण	संशोधन एवं प्रशिक्षण	संशोधन एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत कुल संशोधन एवं प्रशिक्षण	संशोधन एवं प्रशिक्षण	संशोधन एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत कुल संशोधन एवं प्रशिक्षण	संशोधन एवं प्रशिक्षण	संशोधन एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत कुल संशोधन एवं प्रशिक्षण	संशोधन एवं प्रशिक्षण	संशोधन एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत कुल संशोधन एवं प्रशिक्षण				संशोधन एवं प्रशिक्षण	संशोधन एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत कुल संशोधन एवं प्रशिक्षण	संशोधन एवं प्रशिक्षण	संशोधन एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत कुल संशोधन एवं प्रशिक्षण	
8	नवोदय नगरपालिका, विराटनगर, धनुषा	नवोदय नगरपालिका, विराटनगर, धनुषा	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			9	3	2	1	9	2	0	0	7	1	2	1	2	31	1	1	0	0	0	
			10	4	2	0	7	1	1	0	7	1	0	0	0	2	29	0	0	0	0	0
			90	28	21	6	74	14	9	0	75	15	9	1	14	292	2	4	4	1	1	1
			2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
			14	4	3	1	6	1	1	0	5	2	2	0	1	32	1	1	1	1	1	0
			0	0	0	0	3	0	1	0	3	0	1	0	0	8	0	0	0	0	0	0
			3	2	1	0	5	1	1	0	5	0	3	1	1	19	0	0	0	0	0	0
			17	6	4	1	11	0	0	0	20	3	2	1	0	54	0	0	1	0	1	1
			6	2	2	0	7	1	1	0	8	1	0	0	1	25	0	0	1	0	0	0
4	2	2	0	7	0	0	0	7	0	2	2	2	24	0	0	0	0	0	0			
7	2	2	1	5	1	0	0	5	1	2	0	1	22	0	0	0	0	0	0			
17	6	4	1	13	3	0	0	16	4	8	1	2	60	1	0	1	0	0	0			
18	8	3	0	5	2	1	0	6	2	0	0	2	35	0	0	0	0	0	0			
93	35	23	4	71	10	7	0	86	15	23	4	13	316	2	4	2	2	2	1			
9	विराटनगर नगरपालिका, विराटनगर, धनुषा	विराटनगर नगरपालिका, विराटनगर, धनुषा	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	5								

Bk 8 | Page

क्रम संख्या	विराजविद्यालय का नाम	विराज	संस्कृति/एशियन अध्ययन												विद्यार्थी संख्या								
			संस्कृति/एशियन अध्ययन	संस्कृति/एशियन अध्ययन	संस्कृति/एशियन अध्ययन	संस्कृति/एशियन अध्ययन	संस्कृति/एशियन अध्ययन	संस्कृति/एशियन अध्ययन	संस्कृति/एशियन अध्ययन	संस्कृति/एशियन अध्ययन	संस्कृति/एशियन अध्ययन	संस्कृति/एशियन अध्ययन	संस्कृति/एशियन अध्ययन	संस्कृति/एशियन अध्ययन	संस्कृति/एशियन अध्ययन	संस्कृति/एशियन अध्ययन	संस्कृति/एशियन अध्ययन	संस्कृति/एशियन अध्ययन	संस्कृति/एशियन अध्ययन	संस्कृति/एशियन अध्ययन			
10	विराजविद्यालय का नाम	विराज	पटना, विराजविद्यालय, पटना	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			पाटलिपुत्र, विराजविद्यालय, पटना	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0
			श्री0 आर0 अम्बेडकर विहार, विराजविद्यालय, मुजफ्फरपुर	1	0	1	0	4	1	1	0	0	0	1	0	1	0	13	0	0	0	0	0
			श्री0 आर0 अम्बेडकर विहार, विराजविद्यालय, मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0
			श्री0 आर0 अम्बेडकर विहार, विराजविद्यालय, मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	6	0	0	0	0	0
			मगध विराजविद्यालय, बोधगया	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	2	0	0	3	11	0	0	0	0	0
			मुंगेर विराजविद्यालय, मुंगेर	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0
			ललित नारायण मिथिला विराजविद्यालय, दरभंगा	3	1	1	0	2	1	0	0	0	0	2	1	1	1	10	0	0	0	0	0
			कुल पर-	10	4	3	0	15	3	2	0	14	1	9	1	2	55	0	1	0	0	0	0
			जय प्रकाश विराजविद्यालय, छपरा	4	1	1	0	2	1	0	0	2	1	2	1	0	11	0	0	0	0	0	0
विराज मंत्री भगलपुर विराजविद्यालय, भगलपुर	3	1	1	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	7	0	0	0	0	0	0			
पटना, विराजविद्यालय, पटना	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0			
पाटलिपुत्र, विराजविद्यालय, पटना	1	1	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0			
पूँजिया विराजविद्यालय, पूँजिया	1	1	1	0	2	1	0	0	2	1	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0			
श्री0 आर0 अम्बेडकर विहार, विराजविद्यालय, मुजफ्फरपुर	1	0	1	0	3	0	0	0	7	0	4	0	0	16	0	1	0	0	0	0			
मुंगेर नारायण मंडल विराजविद्यालय, मुंगेर	4	1	1	0	2	0	0	0	2	0	2	0	1	12	0	0	0	0	0	0			
मुंगेर विराजविद्यालय, मुंगेर	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0			
ललित नारायण मिथिला विराजविद्यालय, दरभंगा	6	2	1	0	2	1	0	0	3	0	2	1	1	15	0	0	0	0	0	0			
श्री0 आर0 अम्बेडकर विहार, विराजविद्यालय, मुजफ्फरपुर	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0			

Handwritten signatures and marks are present on the left side of the page, including a large signature at the top and another at the bottom left.

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	विषय	संशोधन												कुल	विद्यार्थियों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या (WBC)	कुल	विद्यार्थियों की संख्या (WBC)	विद्यार्थियों की संख्या (WBC)				
			संशोधन	संशोधन	संशोधन	संशोधन	संशोधन	संशोधन	संशोधन	संशोधन	संशोधन	संशोधन	संशोधन	संशोधन						संशोधन	संशोधन	संशोधन	संशोधन	संशोधन
11	विलका माफ़ी भारतपुर विश्वविद्यालय, भारतपुर	PMIR /IRPM/ LSW	कुल पद-	22	7	6	0	16	4	1	0	21	2	15	4	2	83	0	1	0	0	0		
			पदविभूषण	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	
			पदविभूषण	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	
			पदविभूषण	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
			पदविभूषण	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
			पदविभूषण	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
			पदविभूषण	4	3	0	0	7	0	0	6	0	0	6	1	0	0	18	0	0	0	0	0	
			पदविभूषण	6	1	1	1	3	0	4	1	0	4	1	2	0	0	16	1	1	0	0	0	
			पदविभूषण	3	1	1	1	3	0	2	0	1	0	2	0	0	1	11	0	0	0	0	0	
			पदविभूषण	4	2	2	0	2	1	4	1	3	1	1	3	1	1	17	0	1	0	0	0	
			पदविभूषण	1	0	1	0	6	2	7	2	0	0	7	0	0	1	17	0	0	0	0	0	
12	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	भूगोल	कुल पद-	40	14	12	3	33	9	5	0	34	9	11	2	7	142	2	3	0	0	0		
			पदविभूषण	4	2	1	0	5	1	6	1	1	1	1	0	0	1	18	0	0	0	0	0	
			पदविभूषण	10	3	3	1	4	2	5	2	3	1	5	2	3	1	27	1	1	0	0	0	
			पदविभूषण	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
			पदविभूषण	4	1	1	0	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	0	0	0	0	0	
			पदविभूषण	4	1	1	0	3	0	3	0	1	0	3	0	1	1	13	0	0	0	0	0	
			पदविभूषण	3	2	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	0	0	0	0	0	
			पदविभूषण	4	1	1	0	3	0	3	0	1	0	3	0	1	1	13	0	0	0	0	0	
			पदविभूषण	4	1	1	0	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	0	0	0	0	0	
			पदविभूषण	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
			पदविभूषण	10	3	3	1	4	2	5	2	3	1	5	2	3	1	27	1	1	0	0	0	

Bk 10 | Page

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	विषय	अर्जित		अर्जित से ले सन्धि		संगठित सन्धि		संगठित सन्धि		अन्य प्रकार से		फिर से		फिर से ले सन्धि (WBC)	कुल	फिर से ले सन्धि के लिए 25 अर्जित सन्धि से अधिक	फिर से ले सन्धि के लिए अर्जित सन्धि से अधिक				
			कुल	अर्जित	अर्जित	अर्जित	अर्जित	अर्जित	अर्जित	अर्जित	अर्जित	अर्जित	अर्जित	अर्जित				अर्जित	अर्जित	अर्जित	अर्जित	अर्जित
13	कानेरकर सिंह दरसंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरसंगा	राजनीति विज्ञान	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4	2	1	0	2	1	0	0	2	1	1	0	0	10	0	0	0	0	0	
			1	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	2	1	8	1	1	1	1	0	
			0	0	0	0	2	0	1	0	3	1	3	0	0	9	0	0	0	0	0	
			5	1	1	0	3	1	0	0	3	1	1	1	0	13	0	1	0	0	0	
			0	0	0	0	7	0	1	0	9	0	0	0	0	2	19	0	0	0	0	
			5	1	1	1	3	1	0	0	2	1	0	0	1	12	0	0	0	0	0	
			20	6	4	1	13	2	1	0	17	3	1	0	4	60	0	1	0	0	1	
			6	2	1	0	6	0	1	0	8	0	1	0	1	24	0	0	1	0	0	
			10	3	3	1	5	1	0	0	5	2	2	0	2	27	0	0	0	0	0	
			7	2	2	1	0	0	0	0	7	1	1	0	1	18	0	0	0	0	0	
			14	4	4	2	9	2	1	0	12	3	5	1	2	47	1	1	0	0	0	
			13	5	3	0	5	2	1	0	6	1	4	2	1	33	0	0	0	0	0	
14	कुल पर-	अध्यापक	85	26	20	6	58	10	7	0	75	14	21	4	14	280	2	4	2	1		
			0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0		
			5	2	1	0	0	0	1	1	0	7	1	0	1	15	1	1	1	0	0	
			0	0	0	0	4	0	1	0	4	0	1	0	0	10	0	0	0	0	0	
			5	1	2	0	3	1	0	4	1	1	0	0	1	18	0	1	0	0	0	

NK

Dr. ...

Dr. ...

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	विषय	समाप्ति		संशोधन से संबंधित		अनुसंधान संशोधन		अनुसंधान संशोधन		अन्य विभाग से		विभाग से		विभाग से प्राप्त एवं (WBC)	कुल	विश्वविद्यालय के संशोधन से प्राप्त कुल से	विश्वविद्यालय से प्राप्त कुल से				
			कुल से प्राप्त	संशोधन से प्राप्त	कुल से प्राप्त	संशोधन से प्राप्त	कुल से प्राप्त	संशोधन से प्राप्त	कुल से प्राप्त	संशोधन से प्राप्त	कुल से प्राप्त	संशोधन से प्राप्त	कुल से प्राप्त	संशोधन से प्राप्त				कुल से प्राप्त	संशोधन से प्राप्त	कुल से प्राप्त	संशोधन से प्राप्त	कुल से प्राप्त
15	पाटलिपुत्र, विश्वविद्यालय, पटना पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया दो आठ अन्वेषक विभाग, विश्वविद्यालय, मुझफरपुर भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा मगध विश्वविद्यालय, बोधगया मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर ललित नारायण विश्वविद्यालय, दरभंगा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा कुल पद--	दशमशास्त्र	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			1	0	0	0	9	0	1	0	0	13	0	0	0	2	26	0	0	0	0	0
			4	1	2	1	3	1	1	0	0	4	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0
			21	6	5	1	10	3	1	0	16	4	2	0	0	0	55	0	1	0	1	1
			3	1	1	0	7	0	1	0	8	0	1	0	2	23	0	0	0	0	0	0
			8	4	3	0	8	2	1	0	5	2	3	0	2	30	0	0	0	0	0	0
			6	1	1	0	3	1	0	0	4	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0
			12	4	3	1	6	2	1	0	10	2	4	1	2	38	1	1	0	0	0	0
			5	2	1	0	5	0	0	0	10	0	0	0	2	23	0	0	0	0	0	0
			70	22	19	3	59	10	8	0	86	11	14	1	12	268	2	4	1	1	1	1
			0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
			2	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	7	0	1	0	5	0	0	0	2	15	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
			3	1	2	1	8	1	1	0	11	1	5	1	0	30	0	0	1	1	1	0
2	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0			
4	1	2	0	3	1	1	0	4	1	2	1	1	17	0	0	0	0	0	0			
5	1	1	1	4	1	1	0	2	1	0	0	1	14	0	0	0	0	0	0			
6	2	2	0	6	1	0	0	5	1	2	1	1	22	0	1	0	0	0	0			

Handwritten signature and initials in blue ink at the top left.

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom left.

क्रम संख्या	शिक्षणविद्यालय का नाम	शिविर	संयोजित												शिविर परीक्षा के लिए (WBC)	कुल	शिविर परीक्षा के लिए 25 प्रतिशत अनुपात में अनुमति प्राप्त	शिविर परीक्षा के लिए अनुमति प्राप्त				
			शिविर परीक्षा के लिए अनुमति प्राप्त	शिविर परीक्षा के लिए अनुमति प्राप्त	शिविर परीक्षा के लिए अनुमति प्राप्त	शिविर परीक्षा के लिए अनुमति प्राप्त	शिविर परीक्षा के लिए अनुमति प्राप्त	शिविर परीक्षा के लिए अनुमति प्राप्त	शिविर परीक्षा के लिए अनुमति प्राप्त	शिविर परीक्षा के लिए अनुमति प्राप्त	शिविर परीक्षा के लिए अनुमति प्राप्त	शिविर परीक्षा के लिए अनुमति प्राप्त	शिविर परीक्षा के लिए अनुमति प्राप्त									
	दरभंगा		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	श्रीर कुर्बुर सिंह शिक्षणविद्यालय, आरा		3	1	1	0	5	0	1	0	5	0	2	0	1	18	0	0	0	0	0	
	कुल पर-		25	7	9	2	42	4	7	0	35	4	11	3	6	135	0	2	1	1	0	
16	जय प्रकाश शिक्षणविद्यालय, धरम किलका माझी भगालपुर शिक्षणविद्यालय, भगालपुर	मनोविज्ञान	19	6	5	2	10	3	1	0	12	3	5	2	2	54	1	1	1	1	0	
	पटना शिक्षणविद्यालय, पटना		8	2	2	0	3	1	1	0	3	1	2	0	1	20	0	1	0	0	0	
	पारलियुन, शिक्षणविद्यालय, पटना		3	1	1	0	11	1	1	0	9	0	0	0	2	27	0					
	पुणेया शिक्षणविद्यालय, पुणेया		8	3	2	1	5	2	1	0	5	2	3	1	1	25						
	बी० आर० अन्वडेकर शिक्षणविद्यालय, मुझरपुर		31	11	8	2	18	4	1	0	28	6	10	3	0	96	0	1	1	1	1	
	पुणेन नारायण मंडल शिक्षणविद्यालय, म्हेपुरा		11	3	2	0	7	1	0	7	1	1	0	0	1	28	0	1	0	0	0	
	मणख शिक्षणविद्यालय, शोहरावा		11	4	3	0	6	1	1	0	9	2	2	0	2	34						
	मुंगेर शिक्षणविद्यालय, मुंगेर		0	0	1	0	3	0	1	0	3	0	0	0	1	9						
	ललित नारायण महिला शिक्षणविद्यालय, दरभंगा		24	8	6	2	16	3	1	0	19	4	2	0	4	72	1	1	0	1	0	
	श्रीर कुर्बुर सिंह शिक्षणविद्यालय, आरा		12	4	3	0	12	1	0	13	1	2	1	1	3	45						
			127	42	33	7	97	17	8	0	11	20	28	7	17	424	2	5	2	3	1	
17	कान्हेयार सिंह दरभंगा संस्कृत शिक्षणविद्यालय, दरभंगा	संगणकशास्त्र	2	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	5						
	ललित माझी भगालपुर शिक्षणविद्यालय, भगालपुर		0	0	0	0	4	0	1	0	4	0	2	1	0	11						
	पटना शिक्षणविद्यालय,		8	2	2	1	4	2	0	4	1	1	1	1	1	21	0	1	0	0	0	

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	विषय	संरक्षण												कुल	अन्य विवरण						
			आर्य समाज	अन्य धर्म	अज्ञान	अज्ञान	अज्ञान	अज्ञान	अज्ञान	अज्ञान	अज्ञान	अज्ञान	अज्ञान	अज्ञान		अज्ञान	अज्ञान	अज्ञान	अज्ञान	अज्ञान	अज्ञान	
22	विश्वविद्यालय, छापा दिल्ली मंत्री भगतपुर विश्वविद्यालय, भगतपुर	कुल	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			15	5	3	1	11	3	1	0	11	3	0	0	2	43						
			83	27	22	7	93	12	10	0	93	14	14	3	17	332	2	1	2	1	1	0
			12	3	3	1	6	2	1	0	8	2	2	0	0	32						
			6	1	1	1	6	1	1	0	5	1	0	0	1	20						
			1	0	0	0	3	0	1	0	1	1	1	0	1	8						
			8	2	2	1	9	1	1	0	14	1	5	0	2	41						
			2	1	1	0	4	0	1	0	4	0	1	1	1	14						
			13	4	3	1	15	2	1	0	16	7	8	1	0	56						
			6	2	2	0	7	1	0	0	6	1	0	0	1	22						
			10	3	3	1	7	2	1	0	5	2	2	1	1	29						
			8	3	2	1	4	2	1	0	3	2	1	1	1	20						
23	8	6	2	16	3	1	0	14	4	8	2	3	71	1		1	0	1	0			
4	1	1	0	6	0	1	0	6	0	1	0	1	20									
93	28	24	8	83	14	10	0	82	21	29	6	12	333	2		3	2	2	1			
23	कांग्रेस सिंह दरसागा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरसागा	गणित	5	1	1	0	7	1	1	0	5	2	0	1	20	1		1	1	0	0	
			1	0	0	0	5	0	1	0	3	0	0	1	11							
			4	2	1	0	2	0	1	0	3	0	1	0	13							
			कुल	93	28	24	8	83	14	10	0	82	21	29	6	12	333	2	3	2	2	1

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	विषय	समाप्ति		सही कर ले सकते हैं		संगठित नहीं		संगठित समाप्ति		अन्य विभाग में		विभाग में		विभाग में सही कर ले सकते हैं (WBC)	कुल	विद्यार्थियों की संख्या / नाम / पता / मोबा / ईमेल / अन्य जानकारी	विद्यार्थियों की संख्या				
			कुल	सही कर ले सकते हैं	कुल	सही कर ले सकते हैं	कुल	सही कर ले सकते हैं	कुल	सही कर ले सकते हैं	कुल	सही कर ले सकते हैं	कुल	सही कर ले सकते हैं				कुल	सही कर ले सकते हैं	कुल	सही कर ले सकते हैं	कुल
24	पाटलिपुत्र, विश्वविद्यालय, पटना पूर्विका विश्वविद्यालय, पूर्णिया डी० आर० अन्वैत्कर विश्व, विश्वविद्यालय, मुझफपुर मुझे नारायण मठल विश्वविद्यालय, मुझे नारायण विश्वविद्यालय, शोहरत मुझे विश्वविद्यालय, मुझे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, मुझे	कुल	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4	1	2	0	10	1	1	1	0	11	1	0	0	2	30					
			0	0	1	0	4	0	1	1	0	4	0	1	0	1	12					
			15	5	3	1	13	2	1	0	12	2	2	1	1	1	47					1
			6	2	1	0	7	1	1	0	6	0	0	0	0	1	21					
			6	3	2	0	7	1	1	0	3	1	0	0	0	1	20					
			3	0	1	0	3	1	1	0	4	0	0	0	0	0	12					
			16	6	4	1	13	2	1	0	11	2	2	0	2	2	49	1	1	0	0	0
			7	2	2	1	7	2	1	0	6	2	2	1	1	1	26					
			67	22	18	3	78	11	10	0	68	10	8	2	12	12	261	2	3	2	1	1
			8	3	2	0	7	2	1	0	9	1	3	1	2	2	32	1	1	1	0	0
			4	1	1	1	5	0	1	0	4	1	3	0	0	0	18					
1	0	0	0	4	0	1	0	2	1	0	0	0	0	8								
5	2	1	0	11	0	1	0	12	1	5	0	3	3	38								
6	3	2	0	3	2	1	0	4	0	0	0	0	1	17								
11	4	3	1	8	1	0	0	9	2	0	0	1	1	32	0	0	1	0	0			
10	3	3	0	9	1	1	0	1	1	2	1	1	2	28								
8	3	2	1	4	3	1	0	3	1	3	1	1	1	22								
21	7	5	2	15	3	1	0	16	3	6	2	2	2	66	1	1	0	1	0			

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	विषय	आवृत्तियाँ													विशेष									
			सत्र 1	सत्र 2	सत्र 3	सत्र 4	सत्र 5	सत्र 6	सत्र 7	सत्र 8	सत्र 9	सत्र 10	सत्र 11	सत्र 12	सत्र 13	सत्र 14	सत्र 15	सत्र 16	सत्र 17	सत्र 18	सत्र 19				
27	तिलक नगरपालिका मिर्चला विश्वविद्यालय, दरभंगा कोर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	कुल	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			13	5	1	0	6	1	0	0	6	1	2	2	0	0	0	28	0	0	0	0	0		
			5	2	1	0	2	1	0	2	2	1	2	1	1	0	12								
			4	2	1	0	2	1	0	2	2	1	1	0	0	0	10								
			10	4	2	0	4	2	1	0	4	1	3	1	1	1	25								
			6	2	1	0	2	0	0	0	3	1	2	0	0	0	14								
			17	6	4	1	7	3	1	0	8	3	5	2	1	1	43	1	1	0	0	0	0		
			कुल	42	16	9	1	17	7	2	19	7	13	4	2	2	104	1	1	0	0	0	0		
			28	तिलक मांझी भगलपुर विश्वविद्यालय, भगलपुर पटना विश्वविद्यालय, पटना पाटलिपुत्र, विश्वविद्यालय, पटना पूर्विका विश्वविद्यालय, पूर्विका श्री आर आर अखंडकर विहार, विश्वविद्यालय, मुझफरपुर श्रीमं नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधुपुर माण्ड विश्वविद्यालय, श्रीमंगला	याचिका	0	0	0	0	4	0	1	0	5	0	2	0	1	13						
						2	2	1	0	2	0	1	0	2	0	3	0	0	12						
0	0	0				0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2									
0	0	1				0	3	1	1	0	4	0	3	0	1	13									
5	0	1				0	5	0	0	0	7	0	0	0	0	18									
2	0	1				0	5	0	0	0	3	0	1	0	1	13									
0	0	0				0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1									
0	0	0				0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1									
0	0	0				0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1									
0	0	0				0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1									
कुल	42	16				9	1	17	7	2	19	7	13	4	2	2	104	1	1	0	0	0	0		

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	विषय	अनुसंधान												सहायता					अन्य				
			कुल	अनुसंधान के लिए	अनुसंधान के लिए	अनुसंधान के लिए	अनुसंधान के लिए	अनुसंधान के लिए	अनुसंधान के लिए	अनुसंधान के लिए	अनुसंधान के लिए	अनुसंधान के लिए	अनुसंधान के लिए	अनुसंधान के लिए	अनुसंधान के लिए	अनुसंधान के लिए	अनुसंधान के लिए	अनुसंधान के लिए	अनुसंधान के लिए	अनुसंधान के लिए	अनुसंधान के लिए			
28	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	कुल	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				9	4	2	0	6	1	1	1	6	1	2	0	2	28	1	1	0	0	0	0	
29	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	साहित्य	कुल	18	6	6	0	30	3	5	1	35	6	11	0	7	112	1	1	0	0	0		
				2	1	1	0	8	0	1	0	10	1	7	0	2	31	0	0	0	0	0	0	
				2	1	1	0	8	0	1	0	10	1	7	0	2	31	0	0	0	0	0	0	
30	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	व्याकरण	कुल	2	1	1	0	8	0	1	0	10	1	7	0	2	31	0	0	0	0	0		
				5	2	1	0	10	1	1	0	11	1	6	0	2	36	0	0	0	0	0	0	
				5	2	1	0	10	1	1	0	11	1	6	0	2	36	0	0	0	0	0	0	
31	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	उद्योगिक	कुल	3	1	1	0	4	1	1	0	4	1	3	0	1	17	0	0	0	0	0		
				3	1	1	0	4	1	1	0	4	1	3	0	1	17	0	0	0	0	0	0	
				3	1	1	0	4	1	1	0	4	1	3	0	1	17	0	0	0	0	0	0	
32	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	कर्मकाण्ड	कुल	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	धर्मशास्त्र	कुल	3	1	1	0	2	1	0	2	1	1	0	0	9	0	0	0	0	0	0		
				3	1	1	0	2	1	0	2	1	1	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	
				3	1	1	0	2	1	0	2	1	1	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	
34	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	पुराण	कुल	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0		
				2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
				2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
35	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	दर्शन	कुल	3	1	1	0	2	1	0	2	1	1	0	0	9	0	0	0	0	0	0		
				3	1	1	0	2	1	0	2	1	1	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	
				3	1	1	0	2	1	0	2	1	1	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	विषय	आवृत्तियाँ												विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य						
			कुल पर	सॉल्विंग के लिए 20% अंकों में अर्जित पर	कुल पर	सॉल्विंग के लिए 20% अंकों में अर्जित पर	कुल पर	सॉल्विंग के लिए 20% अंकों में अर्जित पर	कुल पर	सॉल्विंग के लिए 20% अंकों में अर्जित पर	कुल पर	सॉल्विंग के लिए 20% अंकों में अर्जित पर	कुल पर	सॉल्विंग के लिए 20% अंकों में अर्जित पर	कुल पर	सॉल्विंग के लिए 20% अंकों में अर्जित पर	कुल पर	सॉल्विंग के लिए 20% अंकों में अर्जित पर	कुल पर	सॉल्विंग के लिए 20% अंकों में अर्जित पर	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	पुष्पकरपुर																				
		कुल	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0
52	मौलाना मदनमूरत हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय, पटना	पत्रकारिता एवं सार्वजनिक कल्याण	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
		कुल	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	कुल पर		1223	407	309	63	87	175	141	1	1227	197	344	65	20	4638	26	59	20	16	8

नोट :- उपर्युक्त वर्णित विषयवार, विश्वविद्यालयवार एवं आरक्षण कोटि संवर्गों में रिक्त पदों की संख्या अधियाची विभाग से संशोधन प्राप्त होने पर घट-बढ़ सकती है।

(3) वेतनमान (Pay Scale)-सहायक प्राध्यापक के पद का वेतनमान वही होगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर अनुशंसित एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

(4) अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :-

(4.1) केवल कला, वाणिज्य, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, भाषाओं, शिक्षा, विधि, पुरातत्त्व विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और पत्रकारिता तथा जनसंघर्ष विधाओं के अभ्यर्थियों के लिए (ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के

पारा नं 6 से संबंधित)।

योग्यता:- अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से निम्नलिखित 'क' अथवा 'ख' में निर्धारित योग्यता को धारित करते हों। (ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के पारा नं 6.1 से 6.3 के संदर्भ में) -

क.

(i) किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित/संगत/संबद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर उपाधि (अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहाँ प्वाइंट रकॉर्ड में समतुल्य ग्रेड) अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि। विहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग)/पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर के प्राप्तांक में पाँच प्रतिशत तथा भारत संघ के किसी भाग के दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर अंकों में पाँच प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। परन्तु किसी अभ्यर्थी को दोनों लाभ एक साथ अनुमान्य नहीं होगा। उन पी-एचडी उपाधि धारक अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी, जिन्होंने 19 सितम्बर 1991 के पूर्व स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है।

(ii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ-साथ अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सी.एस.आई.आर. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) उत्तीर्ण की हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित समतुल्य परीक्षा यथा-BET उत्तीर्ण की हो, अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पी-एचडी की उपाधि प्रदान की गई है, उन्हें एन.ई.टी./एस.एल.ई.टी./एस.ई.टी. से छूट प्रदान की जायेगी।

परन्तु SLET/SET के मान्यता के संदर्भ में यूजीसी 2018 में वर्णित प्रावधान ही मान्य होंगे।

बशर्त कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पी-एचडी/कार्यक्रम के लिए पजीकृत अभ्यर्थी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे। ऐसे सभी पी-एचडी/धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए एन.ई.टी./एस.एल.ई.टी./एस.ई.टी. की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी :-

(क) अभ्यर्थी को पी-एचडी की उपाधि केवल नियमित पदवृत्ति से प्रदान की गई हो:

(ख) पी-एच०डी० शोध-प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो;

(ग) पी-एच०डी० के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पी-एच०डी० कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित (Referreed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(ङ) अभ्यर्थी ने वि० आ० आ० / आई. सी. एस. एस. आर. / सी. एस. आई. आर. अथवा ऐसी किसी अन्य एजेंसी द्वारा प्रायोजित/ वित्तपोषित/ सहायता प्राप्त सम्मेलनों/ विचार गोष्ठियों में अपने पी-एच०डी० कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो;

इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा सत्यापित किया जाए।

परन्तु यह कि बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में पी-एच०डी० की उपाधि हेतु यूजीसी विनियम 2009 को राजमवन द्वारा नवम्बर, 2012 में अधिसूचित किया गया है तथा इसके पश्चात् विभिन्न तिथियों से विश्वविद्यालयों में लागू किया गया है। अतः राज्य के विश्वविद्यालयों में 11.07.2009 से यूजीसी रेगुलेशन, 2009 के लागू होने की अवधि में पी-एच०डी० उपाधि हेतु पंजीकृत एवं तदोपरान्त पी-एच०डी० उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी भी ऊपर क्रमांक (क) से (ङ) में वर्णित 5 शर्तों को पूरा करने एवं तत्संबंधी विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकायप्रमुख (शैक्षणिक कार्य) द्वारा इसके सत्यापन किये जाने की स्थिति में उन्हें नेट / स्लेट / सेट की अर्हता की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी।

नोट :- ऐसे विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि धारक अभ्यर्थियों से NET/SLET/SET अर्हता की अपेक्षा नहीं की जाएगी, जिन विषयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी०एस०आई०आर० अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यापित इस प्रकार की परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है।

अथवा

ख. निम्नलिखित में से किसी एक से (i) क्वैन्टेरेली सायमंड (क्यूएस) (ii) रि टाइम्स हॉयर् एजुकेशन (टीएचई) अथवा (iii) शंघाई जियाओ टेंग यूनिवर्सिटी (शंघाई) के विश्व के विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक रैंकिंग (एआरडब्ल्यू) द्वारा संपूर्ण विश्व में विश्वविद्यालय रैंकिंग में विश्व के शीर्ष 500 रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालय / संस्थान (किसी भी समय) से पी-एच०डी० की उपाधि प्राप्त की गई हो।

(4.2) केवल संगीत, पर्यावरण आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और अन्य परंपरागत भारतीय कला स्वरूपों यथा शिल्पकला आदि के अभ्यर्थियों के लिए (ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के पारा नं० 6.4 से 6.6 के संदर्भ में)।

योरयता:- अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से निम्नांकित 'क' अथवा 'ख' में निर्धारित योरयता को धारित करते हों। (ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के पारा नं० 6.4 से 6.6 के संदर्भ में)।

क.

(i) किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित/संगत/संबद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर (निष्णात) उपाधि (अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो, वहाँ प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) अथवा किसी प्रत्यापित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि। बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (असम्भन वर्ग)/पिछड़ा वर्ग (असम्भन वर्ग) के उन्मीदवार को स्नातकोत्तर के प्राप्तांक में पाँच प्रतिशत, जबकि भारत संघ के किसी भाग के दिव्यांग कौटिक के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर पाँच प्रतिशत अंकों की शिथिलता (छूट) प्रदान की जाएगी। परन्तु किसी उन्मीदवार को दोनों तरह का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। उन पी-एच०डी० उपाधि धारक अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी, जिन्होंने 19 सितम्बर 1991 के पूर्व स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है।

(ii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ-साथ अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सी.एस.आई.आर. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) उत्तीर्ण की हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यापित समतुल्य परीक्षा यथा-BET उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मानता हो, के अनुरूप पी-एच०डी० की उपाधि प्रदान की गई है, उन्हें एन.ई.टी./एस.एल.ई.टी./एस.ई.टी. से छूट प्रदान की जाएगी। परन्तु SLET/SET के मान्यता के संदर्भ में यूजीसी रेगुलेशन, 2018 में वर्णित प्रावधान ही मान्य होंगे।

बशर्ते कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पी-एच०डी० कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे। ऐसे सभी पी-एच०डी० धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए एन.ई.टी./ एस.एल.ई.टी./ एस.ई.टी. की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी :-

(क) अभ्यर्थी को पी-एच०डी० की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;

(ख) पी-एच०डी० शोध-प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो;

(ग) पी-एच०डी० के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पी-एच०डी० कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित (Referreed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(ङ) अभ्यर्थी ने वि० आ० आ० / आई. सी. एस. एस. आर. / सी. एस. आई. आर. अथवा ऐसी किसी अन्य एजेंसी द्वारा प्रायोजित/ वित्तपोषित/ सहायता प्राप्त सम्मेलनों/ विचार गोष्ठियों में अपने पी-एच०डी० कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो;

इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा सत्यापित किया जाए।

परन्तु यह कि विहार राज्य के विश्वविद्यालयों में पी-एचडींकी उपाधि हेतु यूजी0सी0 विनियमन 2009 को राजभवन द्वारा नवम्बर, 2012 में अधिसूचित किया गया है तथा इसके पश्चात् विभिन्न तिथियों से विश्वविद्यालयों में लागू किया गया है। अतः राज्य के विश्वविद्यालयों में 11.07.2009 से यूजी0सी0 रेगुलेशन, 2009 के लागू होने की अवधि में पी-एचडीं उपाधि हेतु पंजीकृत एवं तदोपरान्त पी-एचडीं उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी भी ऊपर क्रमिक (क) से (ड) में वर्णित 5 शर्तों को पूरा करने एवं तत्संबंधी विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकायपथक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा इसके सत्यापन किये जाने की स्थिति में उन्हें नेट/स्लेट/सेट की अर्हता की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी।

नोट :-ऐसे विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि धारक अभ्यर्थियों से NET/SET/SET अर्हता की अपेक्षा नहीं की जाएगी, जिन विषयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी0एस0आई0आर0, अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इस प्रकार की परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है।

अथवा

ख. एक परंपरागत अथवा पेशेवर कलाकार जिसकी संबंधित विधा में अत्यंत उल्लेखनीय पेशेवर उपलब्धि रही हो और जिन्हें स्नातक की उपाधि प्राप्त हो, जिन्होंने:

- (i) प्रसिद्ध परंपरागत उस्ताद(दा) / कलाकार(से) के अधीन अभ्यासन किया हो।
- (ii) वह आकाशवाणी/दूरदर्शन में 'क' श्रेणी का कलाकार रहा हो;
- (iii) वह संबंधित विषय में तार्किक रूप से व्याख्या करने की क्षमता रखता हो; और
- (iv) संबंधित विधा में सोदाहरण सिद्धांत पढ़ाने के लिए पर्याप्त ज्ञान से सम्पन्न हो।

नोट :- अभ्यर्थी द्वारा ऊपर अंकित बिन्दु-ख (ii) से संबंधित प्रमाण-पत्र संतानन किया जाना वांछनीय है।

(4.3) केवल नाट्य विधा के अभ्यर्थियों के लिए। (ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के पारा नं0 6.7 से 6.9 के संदर्भ में)।

योग्यता:- अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से निर्माकित 'क' अथवा 'ख' में निर्धारित योग्यता को धारित करते हों। (ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के पारा नं0 6.7 से 6.9 के संदर्भ में)।

क. (i) किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित/संगत/संबद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर (निष्णात) उपाधि (अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो, वहाँ प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि। विहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग)/पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) के उम्मीदवार को स्नातकोत्तर प्रत्याक में पाँच प्रतिशत, जबकि भारत संघ के किसी भाग के दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर पाँच प्रतिशत अंकों की शिथिलता (छूट) प्रदान की जाएगी। परन्तु किसी उम्मीदवार को दोनों तरह का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। उन पी-एचडीं उपाधि धारक अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी, जिन्होंने 19 सितम्बर 1991 के पूर्व स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है।

(ii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ-साथ अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सी.एस.आई.आर. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी) उत्तीर्ण की हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित समतुल्य परीक्षा यथा-BET उत्तीर्ण की हो, अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मानला हो, के अनुरूप पी-एचडीं की उपाधि प्रदान की गई है, उन्हें एन.ई.टी./एस.ई.टी. से छूट प्रदान की जाएगी।

परन्तु SLET/SET के मान्यता के संदर्भ में यूजी0सी0 रेगुलेशन, 2018 में वर्णित प्रावधान ही मान्य होंगे।
बशर्त कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पी-एचडींकार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के उपबन्धों द्वारा अभिशासित होंगे। ऐसे सभी पी-एचडींधारक अभ्यर्थियों को निर्माकित शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थानों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए एन.ई.टी./ एस.एल.ई.टी./ एस.ई.टी. की अपेक्षा से छूट प्रदान की जायेगी :-

- (क) अभ्यर्थी को पी-एचडींकी उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;
- (ख) पी-एचडीं शोध-प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो;
- (ग) पी-एचडीं के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;
- (घ) अभ्यर्थी ने अपने पी-एचडींकार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित (Refered) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;
- (ड) अभ्यर्थी ने वि0 आ0 आ0/ आई. सी. एस. आर./ सी. एस. आई. आर. अथवा ऐसी किसी अन्य एजेंसी द्वारा प्रायोजित/ वित्तपोषित/ सहायता प्राप्त सम्मेलनों/ विचार गोष्ठियों में अपने पी-एचडीं कार्य के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो;

इन शर्तों को पूरा करने के संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा सत्यापित किया जाए।

परन्तु यह कि विहार राज्य के विश्वविद्यालयों में पी-एचडींकी उपाधि हेतु यूजी0सी0 विनियमन, 2009 को राजभवन द्वारा नवम्बर, 2012 में अधिसूचित किया गया है तथा इसके पश्चात् विभिन्न तिथियों से विश्वविद्यालयों में लागू किया गया है। अतः राज्य के विश्वविद्यालयों में 11.07.2009 से यूजी0सी0 रेगुलेशन, 2009 के लागू होने की अवधि में पी-एचडींउपाधि हेतु पंजीकृत एवं

तदोपरान्त पी-एचडी/उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी भी ऊपर क्रमांक (क) से (ड) में वर्णित 5 शर्तों को पूरा करने एवं तत्संबंधी विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकायप्रमुख (शैक्षणिक कार्य) द्वारा इसके सत्यापन किये जाने की स्थिति में उन्हें नेट/स्लेट/सेट की अर्हता की अपेक्षा से छूट प्रदान की जायेगी।

नोट :- ऐसे विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि धारक अभ्यर्थियों से NET/SLET/SET अर्हता की अपेक्षा नहीं की जाएगी, जिन विषयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी०एच०आई०आर०, अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इस प्रकार की परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है।

अथवा

ख. संबंधित विषय में उच्च उल्लेखनीय पेशेवर उपलब्ध रखने वाला कोई परंपरागत अथवा पेशेवर कलाकार जिसके पास :-

(i) भारतीय नाट्य विद्यालय अथवा भारत या विदेश में किसी अन्य ऐसे ही संस्थान से 55 प्रतिशत अंक (अथवा जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहाँ प्वाइंट स्केल में समान ग्रेड की उपाधि) के साथ तीन वर्षों स्नातक की उपाधि / स्नातकोत्तर डिप्लोमा की उपाधि के साथ पेशेवर कलाकार रहा हो;

(ii) सहाय सहित क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाँच वर्ष का नियमित रूप से प्रशसनीय कार्य निष्पादन रहा हो; और

(iii) संबंधित विषय की तार्किक रूप से व्याख्या करने की क्षमता हो और संबंधित विधा में सोदाहरण सिद्धांत पक्ष को पढ़ाने की पर्याप्त जानकारी हो।

नोट :- अभ्यर्थी द्वारा ऊपर अंकित विन्दु-ख (i) तथा ख (ii) से संबंधित प्रमाण-पत्र संतर्पन किया जाना बांछनीय है।

5. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से संबंधित ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण विन्दु :-

(5.1) विहार सरकार द्वारा आयोजित BET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही केवल सहायक प्राध्यापक पद के लिए NET से छूट दी जायेगी। अन्य राज्य के SLET/SET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को NET से छूट एवं SLET/SET के अंक का लाभ नहीं मिलेगा।

(5.2) सीधी भर्ती हेतु अर्हता के उद्देश्य और बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड के मूल्यांकन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अओपिओव) /पिछड़ा वर्ग (पिओव) निशक्त (क) दृष्टिहीनता अथवा निम्न दृश्यता (ख) बधिर और कम सुनाई देना (ग) लोकोमोटर निशक्तता साथ ही सेरेब्रल पालसी, कुष्ठ उपाचारित, नाटपान, अस्तीय हमने के पीड़ित और मस्त्रूलर डिस्टॉफी (घ) विचार भ्रम (ऑटिज्म), बौद्धिक निशक्तता, विशिष्ट अधिगम निशक्तता और मानसिक अस्वस्थता (ड) गैरपान-अंधापन सहित (क) से (ड) के तहत व्यक्तियों में से बहुत निशक्तता) से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

(5.3) एक संगत ग्रेड जिसे निष्ठात स्तर पर 55 प्रतिशत के समरूप माना जाता है, जहाँ कहीं भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली लागू है, को भी वैध माना जाएगा।

(5.4) शिक्षण पदों पर नियुक्ति के दावे हेतु पी-एचडी/उपाधि प्राप्त करने में अभ्यर्थियों द्वारा लिए गए समय पर शिक्षण/अनुसंधान अनुभव के रूप में विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कोई अवकाश लिए बिना शिक्षण कार्य के साथ अनुसंधान उपाधि प्राप्त करने में व्यतीत की गई सक्रिय सेवा अवधि को सीधी भर्ती के उद्देश्य के लिए शिक्षण अनुभव माना जाएगा।

(5.5) वैसे ही शिक्षकों का अनुभव मान्य होगा, जिनकी सेवा University Selection Committee/College Service Commission/College Selection Committee के द्वारा संपुष्ट(Confirmed) की गयी हो।

(5.6) अभ्यर्थी शोध प्रकाशन (Research) में अपने 5 सबसे अच्छे पत्रों को Upload करेंगे।

(5.7) संबंधित/संगत/सम्बद्ध विषय का विवरण अनुसूची-1 में संतर्पन है।

(5.8) शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण-पत्र/उपाधि ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि-02.11.2020 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा अभ्यर्थी को उम्मीदवासी रद्द कर दी जायेगी।

(5.9) ग्रेड विद्युओं का प्रतिशत में संपरिवर्तन संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विनिश्चित संपरिवर्तन सूत्र के अनुसार होगा। प्रतिशत/ग्रेड/सी०जी०पी०ए० को प्रतिशत में परिवर्तित करने से संबंधित Formula का प्रमाण (प्रामाणिक साक्ष्य) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में इंगित स्थान पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। ग्रेड विन्दु वाले अंक-पत्र के दोनों पृष्ठों (Front Side तथा Back Side) को अपलोड करना अनिवार्य है।

(5.10) यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त संस्थानों से संबंधित विषय के लिए Distance Mode/Open University से प्राप्त डिग्री मान्य होगी। यू०जी०सी० के Distance Education Mode की वैधता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के अनुसार होगी।

(5.11) सभी वांछित प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवार की उम्मीदवासी प्रभावित/रद्द होगी तथा आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(5.12) योग्यता संबंधी वही प्रमाण-पत्र एवं उपाधि मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।

(6) उम्र सीमा :-
सहायक प्राध्यापक पद के अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक-01/01/2020 को अधिकतम 55वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(7) चयन प्रक्रिया:-

(7.1) शैक्षणिक योग्यता के लिए 100 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 15 अंक होंगे। अंतिम मेधा सूची शैक्षणिक योग्यता (कुल अंक-100) एवं साक्षात्कार (कुल अंक-15), अर्थात् कुल 115 अंकों में से प्राप्त किये गये अंकों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(72) विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के पद हेतु साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के चयन संबंधी मानदंड निम्नलिखित तालिका के अनुरूप किया जायेगा —
तालिका

क्र.सं०	शैक्षणिक रिकार्ड	स्कोर (अंकों में)			
		80% एवं उससे ऊपर = 15	60% एवं उससे ज्यादा तथा 80% से कम = 13	55% एवं उससे ज्यादा और 60% से कम = 10	45% से ज्यादा और 55% से कम = 05
1.	स्नातकोत्तर	80% एवं उससे ऊपर = 25	60% एवं उससे ज्यादा तथा 80% से कम = 23	55% एवं उससे ज्यादा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/बी.सी.01/बी.सी.02 एवं दिव्यांग की स्थिति में 50%) तथा 60% से कम = 20	
2.					
3.	पी-एच.डी०	30			
4.1	जे०आर०एफ० के साथ नेट	07			
4.2	नेट	05			
4.3	स्लेट/सेट	03			
5.	“शोध प्रकाशन : समीक्षित (peer reviewed) अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग . द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 2 अंक”	10			
6.	शिक्षण/पोस्ट डॉक्टरेल का अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के लिए 02 अंक) #	10			
7.	पुरस्कार :- अधिकतम 03 अंक				
7.1	अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर (अन्तर्राष्ट्रीय संगठन/भारत सरकार/ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं द्वारा पुरस्कार दिए जाने की स्थिति में)	03			
7.2	राज्य स्तर (राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार दिए जाने की स्थिति में)	02			

तथापि, यदि शिक्षण/पोस्ट डॉक्टरेल अनुभव की अवधि 1 वर्ष से कम होने की स्थिति में अंक समानुपातिक रूप से घटाए जाएंगे। इनका लाभ संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नोट :-

- (क) (i) पी-एच.डी० :- 30 अंक।
(ii) जे०आर०एफ०/नेट/सेट :- अधिकतम 07 अंक।
(iii) पुरस्कार कोटि में :- अधिकतम 03 अंक।

(ख)

अकादमिक स्कोर	:- 80 अंक।
शोध प्रकाशन	:- 10 अंक।
शिक्षण अनुभव	:- 10 अंक।
कुल	:- 100 अंक।





(ग) सेट / स्लेट का स्कोर संबंधित राज्य के विश्वविद्यालयों में नियुक्ति हेतु मान्य होंगे।

(8) आरक्षण नीति :-

(8.1) ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। केवल पिछड़े वर्ग की महिला आरक्षण कोटि (WBC) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कोटि की महिला को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

(8.2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उन्हीं अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा जो बिहार के मूल अधिवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के अधिवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।

(8.3) बिहार पदों एवं सेवाओं की रक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम-3, 1992) (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा। आरक्षण का लाभ केवल वैसे सुयोग्य अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जो बिहार के स्थायी अधिवासी हैं। अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की गणना गैर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी में की जायेगी एवं उन पर गैर आरक्षित श्रेणी के ऊपर लागू होने वाले प्रावधान लागू होंगे। आवेदन में अंकित स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।

8.3.1 अनुं जाति एवं अनुं जन जाति के उम्मीदवारों को निम्निकित प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-

(a) जाति प्रमाण पत्र

(b) मूल निवास प्रमाण पत्र (डॉमिसाइल प्रमाण पत्र)

8.3.2 पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को निम्निकित प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-

(a) जाति प्रमाण पत्र

(b) मूल निवास प्रमाण पत्र (डॉमिसाइल प्रमाण पत्र)

(c) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र

8.3.3 पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी होने की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं अनुं जाति और अनुं जं जाति की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, डॉमिसाइल प्रमाण पत्र मान्य होगा।

8.3.4 आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम व स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उसके पति के नाम व पता से।

8.3.5 आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुसूचित वर्ग से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुसूचित वर्ग से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। आवेदन भरने के पश्चात् आरक्षण कोटि में परिवर्तन का दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही गलत आरक्षण कोटि अंकित करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

आरक्षित कोटि निम्नवत् है:-

क्र०सं०	आरक्षित कोटि	ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि
01	अनुसूचित जाति (Schedule Caste)	SC
02	अनुसूचित जनजाति(Schedule Tribe)	ST
03	अति पिछड़ा वर्ग(Extremely Backward Class)	EBC
04	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC
05	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS

8.3.6 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-13062, दिनांक-12.10.2017 के आलोक में केवल ऐसे अभ्यर्थी सेवाओं/पदों में 04 प्रतिशत दिव्यांगता आधारित क्षैतिज आरक्षण के लिए पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत सगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

8.3.7 बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-2342, दिनांक-15.02.2016 के प्रावधान के अंतर्गत आरक्षित एवं गैर-आरक्षित श्रेणी की महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के अधीन आरक्षण देय होगा।

22

4

2024

8.3.8 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-2526, दिनांक 18.02.2016 के आलोक में बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतिनी को रिकॉर्ड की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (मूलपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी होने को) प्रमाण-पत्र निरिक्त रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

8.3.9 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिकॉर्ड की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-2 (प्रपत्र-1) में सक्षम अधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।

8.3.10 उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
नोट:-

(i) ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचनाएँ सिर्फ डाटा बेस संभारित करने हेतु ली जा रही हैं। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार की छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो, न तो उसका दावा मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचना/शर्त/जानकारी/किसी प्रकार की छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगी।

(ii) उपर्युक्त अंकित आरक्षण का लाभ (दिव्यांगता आधारेण आरक्षण को छोड़कर) केवल वैसे सुयोग्य अभ्यर्थियों को देय होगा जो बिहार राज्य के स्थायी अधिवासी (Domicile) हैं।

(9) विश्वविद्यालय का आवंटन -

9.1 आयोग द्वारा रिकॉर्ड एवं आरक्षण रोस्टर के अनुसार विश्वविद्यालय एक सम्मिलित मेधा सूची तैयार की जाएगी। इस सम्मिलित मेधा सूची में से उम्मीदवारों द्वारा विश्वविद्यालयों के लिए दिए गए अधिमानता को ध्यान में रखकर विभाग को भेजा जाने वाला विश्वविद्यालयवार फैनल तैयार किया जाएगा।

9.2 अगर आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के मेधा सूची के लिए अर्हित है तो उसकी नियुक्ति सामान्य कोटि में होगी एवं ऐसे अभ्यर्थी द्वारा विश्वविद्यालयों के लिए दिए गए अधिमानताओं को ध्यान में रखकर सामान्य वर्ग की रिकॉर्ड की विरुद्ध ही उनको विश्वविद्यालय आवंटित किया जाएगा।

9.3 अभ्यर्थी को अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में सभी संबंधित विश्वविद्यालयों का अधिमानता क्रम देना चाहिए।

(10) ऑनलाईन आवेदन शुल्क :-

(10.1) कोटिदार ऑनलाईन आवेदन शुल्क का विवरण नीचे दिया गया है:-

- अनरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हेतु - 300 रु० (तीन सौ रुपये)
- केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हेतु - 75 रु० (पचहत्तर रुपये)
- केवल बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित वर्ग/अनरक्षित वर्ग) महिला हेतु - 75 रु० (पचहत्तर रुपये)
- दिव्यांग अभ्यर्थियों (40 प्रतिशत या उससे अधिक) के लिए - 75 रु० (पचहत्तर रुपये)
- शेष अन्य उम्मीदवार हेतु - 300 रु० (तीन सौ रुपये)

(10.2) आवेदन शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपीआई द्वारा ऑनलाईन ई-भुगतान मोड के माध्यम से जमा किया जाएगा।

(10.3) अभ्यर्थी को उपर्युक्त शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। आवेदन के साथ आवेदन शुल्क एवं बैंक चार्ज के रूप में अधिसूचित राशि लौटाई नहीं जायेगी।

वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप शुल्क जमा किया जाता है और मन्विष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती शुल्क (Concessional Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं, तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

(11) महत्वपूर्ण निर्देश :-

11.1 अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र को डेडलाइन से डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीली रोशनाई (स्याही) वाली बॉल पेन से हिन्दी एवं अंग्रेजी में अपना उसी प्रकार का हस्ताक्षर अंकित करेंगे, जिस प्रकार का हस्ताक्षर उन्होंने अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में अंकित किया है। इसके उपरान्त अभ्यर्थी अपने डाउनलोडेड आवेदन-पत्र की हार्ड कॉपी के साथ सभी वांछित प्रमाण-पत्र/कागजात/उपाधि की स्व-अभिप्रेमाणित छायाप्रति संलग्न कर केवल निर्दिष्ट डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह दिनांक-24.11.2020 के अपराह्न 5:00 बजे तक बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, अकादमिक भवन, 8वाँ तल, बिहार, पटना-800001 को अवश्य प्राप्त हो जाय। अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर आवेदित पद, विषय का नाम, **Unique ID** एवं विज्ञापन संख्या को स्पष्ट रूप से अवश्य अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में आयोग कार्यालय में हार्थ-हाथ आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी अभ्यर्थी के ऑनलाईन भरे गए आवेदन-पत्र की डाउनलोडेड हार्ड कॉपी के साथ वांछित प्रमाण-पत्रों/कागजात/उपाधि की

स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न होकर आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त नहीं होंगी, तो उक्त अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र अंतिम रूप से भरा गया नहीं माना जाएगा और उनकी उम्मीदवासी रद्द की जा सकती है। उक्त की हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें:-

- (i) भौतिक प्रमाण पत्र। (जन्म तिथि के साक्ष्य के रूप में)।
- (ii) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अधिवास प्रमाण पत्र। (आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी के लिए)।
- (iii) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र। (आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी के लिए)।
- (iv) नन क्रीमी लेयर (बी0सी0 01 तथा बी0सी0 02 के लिए) का प्रमाण-पत्र। (आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी के लिए)।
- (v) सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा प्रमाण-पत्र। (आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी के लिए)।
- (vi) स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतिनी/पोता/पोती होने का प्रमाण-पत्र। (आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी के लिए)।
- (vii) दिव्यांगता प्रमाण-पत्र। (आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी के लिए)।
- (viii) 11.07.2009 के पूर्व पी-एच0डी0 उपाधि धारक हैं, तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पाँच विन्दुओं का प्रमाण-पत्र, (अगर है तो)।
- (ix) आयोग के ऑनलाईन पोर्टल पर बिदु 6.6/6.9 से संबंधित प्रमाण-पत्र।
- (x) स्नातक उपाधि।
- (xi) स्नातक अंक-पत्र।
- (xii) स्नातकोत्तर उपाधि।
- (xiii) स्नातकोत्तर अंक-पत्र।
- (xiv) NET/BET प्रमाण-पत्र।
- (xv) ग्रेड व्हाइंट/लेटर ग्रेड/सी0जी0पी0ए0 से रूपांतरित प्रतिशत प्राप्त करने का साक्ष्य (स्नातकोत्तर के लिए)।
- (xvi) दिनांक-11.07.2009 के पूर्व पी-एच0डी0 के लिए पंजीकृत, परन्तु बाद में उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी के लिए पंजीयन पत्र एवं उपाधि, (अगर है तो)।
- (xvii) दिनांक-11.07.2009 के बाद पी-एच0डी0 उपाधि धारक, जो 2009 नियमों से पी-एच0डी0 नहीं हैं, तो पंजीयन पत्र, उपाधि एवं क्रमांक (viii) की तरह प्रमाण-पत्र, (अगर है तो)।
- (xviii) पी-एच0डी0 उपाधि, 2009 नियमों के अनुसार, (अगर है तो)।
- (xix) शोध-पत्र। (अधिकतम पाँच शोध-पत्र)।
- (xx) शिक्षण अनुभव प्रमाण-पत्र।
- (xxi) Post Doctoral अनुभव प्रमाण-पत्र।
- (xxii) अकादमिक पुरस्कार (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय) प्रमाण-पत्र।
- (xxiii) अकादमिक पुरस्कार (राज्य स्तरीय) प्रमाण-पत्र।

(14) नोट :-

- 14.1 उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश आयोग के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का मूली-मूर्ति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ अद्यक रूप से सही-सही एवं सुस्पष्ट रूप से अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन अभ्यर्थी द्वारा नहीं करने एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि मात्र रजिस्ट्रेशन हो जाने तथा शुल्क का भुगतान हो जाने से अभ्यर्थी का यह दावा मान्य नहीं होगा कि अभ्यर्थी द्वारा त्रुटिहित ढंग से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भर दिया गया है।
- 14.2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र/उपाधि से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवासी रद्द कर दी जायेगी।
- 14.3 अभ्यर्थी डेश बोर्ड पर अंकित अपना नाम, जन्म-तिथि, कोटि, शुल्क की राशि इत्यादि से संतुष्ट होने के बाद ही शुल्क जमा करेंगे।
- 14.4 ऑनलाईन आवेदन-पत्र में अंकित Email-ID, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना अभ्यर्थी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी। इसे वे अपने पास व्यक्तिगत रूप से अवश्य सुरक्षित रखेंगे।

14.5 बैंकिंग इन्टरनेट, पोस्टल सर्विस या बैंकिंग सेवा आदि में उत्पन्न किसी प्रकार के व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, इसलिए इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करके उसके पहले ही अपना पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन-पत्र एवं निर्धारित शुल्क जमा कर देंगे।

14.6 अभ्यर्थी अपना एक अद्यतन फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। इसके उपरान्त अभ्यर्थी अपने स्तर से यह अवश्य सुनिश्चित हो लेंगे कि उनके द्वारा अपलोड किये गये उनके फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर का इमेज विलकुल स्पष्ट है।

14.7 इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन-पत्र भरते समय वे अपना जो फोटोग्राफ अपने आवेदन-पत्र पर अपलोड किये हैं, उसको कम से कम पाँच पासपोर्ट साइज की अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा माँगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

14.8 निर्धारित शुल्क के ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। भुगतान किया गया शुल्क एवं बैंक चार्ज किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

(15) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाएँ। बाद में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र भरने में की गई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग कदापि उत्तरदायी नहीं होगा एवं फलस्वरूप किसी भी प्रतिकूल परिणाम हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(i)	रजिस्ट्रेशन (एजीकरण) प्रारंभ की तिथि	23.09.2020
(ii)	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	02.11.2020 (05 PM तक)
(iii)	अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय में केवल स्वीड पोस्ट /निर्बंधित डाक के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र की डाउनलोडिंग हार्ड कॉपी एवं सभी वांछित कागजात/प्रमाण पत्र /उपपत्र की स्व-अभिप्रेक्षागत छायाप्रति प्राप्त कराने की अंतिम तिथि	24.11.2020 (05 PM तक)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature and date: 24/11/2020)

विहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना

सचिव

P.W

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

अनुसूची - 1

संबंधित / संगत / सम्बन्ध विषय का विवरण-

1 Sl. No.	2 Concerned (Core) Subject	3 Allied/relevant subjects
1	Zoology	1 Fish & Fisheries
		2 Aquaculture
		3 Entomology
		4 Life Science/Bio Science
		5 Genetics/Cytogenetics
		6 Animal Physiology & Biochemistry
		7 Biotechnology/Immunology
2	Geology	1 Applied Geology
		2 Earth Science
3	Political Science	1 Public Administration
		2 Marketing Management
4	Management	2 Financial Management
		3 Human Resource Management
		4 International Business Management
		5 Operation Management
		6 Commerce
		7 Industrial/Organisational Psychology
		8 Applied/Business Economics
		1 None
5	Sociology	1 None
		1 None
6	Geography	1 None
		1 None
7	Philosophy	1 Buddhist Philosophy (with Graduation in Philosophy as core subject)
		2 Jaina Philosophy (with graduation in Philosophy as core subject)
		3 Comparative Study of Religions (with graduation in philosophy as core subject)
		4 Yoga philosophy (with graduation in philosophy as core subject)
8	Sanskrit	1 None
		1 None
9	Traditional Sanskrit (वेद, धर्मशास्त्र, साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन / न्याय, पुराण, बौद्धदर्शन, प्राकृत / जैनदर्शन)	1 None

10	हिन्दी	1	भाषा विज्ञान में स्नातकोत्तर (त्रिवर्षीय स्नातक स्तर तक मुख्य विषय हिन्दी भाषा एवं साहित्य)
		2	तुलनात्मक साहित्य में स्नातकोत्तर (त्रिवर्षीय स्नातक स्तर तक मुख्य विषय हिन्दी भाषा एवं साहित्य)
		3	अनुवाद विज्ञान में स्नातकोत्तर (त्रिवर्षीय स्नातक स्तर तक मुख्य विषय हिन्दी भाषा एवं साहित्य)
		4	लोक साहित्य में स्नातकोत्तर (त्रिवर्षीय स्नातक स्तर तक मुख्य विषय हिन्दी भाषा एवं साहित्य)
11	उर्दू	1	No Allied subject in Urdu
12	Islamic Studies	1	Arab culture and Islamic Studies
		2	Arab culture
		3	Theology
13	Arabic	1	Arab culture and Islamic Studies/Arab Culture / Theology
		14	Persian
15	Mathematics	1	No Allied subject
		1	Computation Mathematics
		2	Applied Mathematics
		3	Industrial Mathematics and Informatics
		4	Mathematical Science
		5	Material Science and Technology
		6	Industrial and Applied Mathematics
16	Botany	1	Microbiology
		2	Biotechnology
		3	Biochemistry
		4	Bio science
		5	Environmental Science
		6	Genetics
		7	Molecular Biology

Handwritten signature/initials

Handwritten notes and signatures at the top left

Handwritten signature/initials at the bottom left

17	Chemistry	1	Physical Chemistry
		2	Inorganic Chemistry
		3	Organic Chemistry
		4	Applied Chemistry
		5	Industrial Chemistry
		6	Analytical Chemistry
		7	Environmental Chemistry
		8	Biochemistry
		9	Pharmaceutical Chemistry
		10	Instrumentation and commercial method of Industrial analysis
		11	Polymer Science and Chemical technology
18	Economics	1	Financial Economics
		2	Environmental economics
		3	Business Economics
19	Home Science(M.A./M.Sc.)	1	Food and nutrition
		2	Family resource management
		3	Human Development
		4	Textile & Clothing
		5	Extension Education
		6	Clinical Nutrition
20	Ancient History	1	Ancient Indian History & Culture
		2	Ancient Indian history & Archaeology
		3	Ancient Indian & Asian Studies
21	Music	1	Vocal Music-Hindustani Classical Music
		2	Instrumental Music-Percussion/Non percussion
22	Personnel Management and Industrial Relations	1	Labour and Social Welfare (L.S.W.)
		2	Personnel Management and Industrial Relation (PMIR)
		3	Industrial Relations and Personnel Management (IRPM)
		4	Master in Human Resource Management (MHRM)
		5	Master in Human Resource Development (MHRD)
23	Electronics	1	Electronics/electronics Science
		2	2 year M.Sc. in Microelectronics and Advanced Communication
		3	2 year M.Sc. in Electronics and Instrumentation
		4	2 year M.Sc. in electronic and communication
		5	2 year M.Sc. in Optoelectronics
		6	2 year M.Sc. in applied electronics
		7	2 year M.Sc. in electronics and telecommunication
		8	2 year M.Sc. in instrumentation
		9	5 year M.Sc. in electronics, computer and Instrumentation.
		10	2 year M.Sc. in instrumentation technology (All degrees mentioned here are in science stream)

24	Physics	1	B.S.-M.S. integrated course with physics/applied physics as major Subjects/Elective Paper.
		2	M.Sc.(physics/applied physics) or equivalent degree of 2years/4 semesters after 3 years B.Sc./B.S. Courses
25	शैथिली (Marathi)	1	शरषा वलशरषा
		2	अनुषार वलशरषा
		3	लोक शरषलल
		4	तुलनरलक शरषलल

नलत-अरलतु शरषरक शरषर अर शैथिली अरषु वरषरु शरषर शरषर।

26	English	1	Comparative Literature
		2	Translation Studies
		3	Folk Literature
		4	Linguistics
		5	English language teaching
		6	Literature in English
Note:- However, the candidate must have a B.A.(Hons) degree in English.			
27	Statistics	1	M.Sc. in Statistics and Computing
		2	M.Sc. in Statistics and computer application
		3	M.Sc. in applied Statistics and Informatics
		1	Master of Journalism and Mass Communication
		2	M.A.(Journalism)
		3	M.A.(Mass Communication)
28	Journalism	4	M.Sc.(Media Research)
		5	M.A.(Digital Communication)
		6	M.A.(Corporate Communication)
		7	M.A.(Media Management)
		8	M.A.(Advertising & Public Relations)
		9	M.A/M.Sc. (New Media Technology)
		10	M.Sc.(Electronic Media)
		11	M.A.(Creative Writing)
		12	M.A.(Convergent Journalism)
		13	M.A.(Communication & Event management)
		29	LAW
30	Commerce	1	None
31	Psychology	1	None
32	History	1	None
33	Gandhian Thought	1	Gandhian Thought and Peace Studies.
		2	Gandhi and Peace Studies.